1647/R/SP/SCB
16/6/26

SP/SCB/HQrs
16/6/26

5127
16-6-26

DS/Crime-I

16/6/26

प्रेषक

निरीक्षक,
राज्य अपराध शाखा, अम्बाला।

सेवा में

पुलिस अधीक्षक,
राज्य अपराध शाखा (मु०) पंचकूला।

क्रमांक 309/SCB/AMB दिनांक 15-06-2026

विषय- शिकायतकर्ता श्री रोचन ककक्ड़ पुत्र श्री राजीव ककक्ड़ वासी म0न0 657, सैक्टर-38A, चण्डीगढ़ की शिकायत न० **235-Peshi Dated 14-06-2025 (235, ACP-HQ-Zone)** बारे अन्तिम जाँच रिपोर्ट।

श्रीमान जी,

विषय उपरोक्त में वर्णित परिवाद की अन्तिम जाँच रिपोर्ट का बिन्दूवार विवरण निम्न प्रकार से हैं-

शिकायतकर्ता श्री रोचन ककक्ड़ उपरोक्त की शिकायत न० 235-Peshi Dated 14.06.2025 (235, ACP-HQ-Zone) विरुद्ध उत्तरवादीगण सिद्धार्थ उनियाल वासी चण्डीगढ़, आमीन गोयल वासी पंचकूला, श्रुति जोशी, तनवीश इनानी, करन शर्मा, जयपाल शर्मा एवं Healpain Recovery Care Pvt Ltd निदेशक संजीव कुमार गर्ग वा कृष्ण वर्मा वगैरा के सम्बंध में माननीय पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, पंचकूला कार्यालय के आदेश क्रमांक 2038-39 / AC-AR दिनांक 28-01-2026 के अनुसार शिकायत उपरोक्त की जाँच को पुलिस कमीशनरी पंचकुला से ट्रान्सफर होकर राज्य अपराध शाखा, हरियाणा, मुख्यालय पंचकुला में प्राप्त हुई थी। इसके सम्बंध में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अपराध (हरियाणा) पंचकूला कार्यालय के आदेश **Endst. No. 2356/CR-4** दिनांक **11.02.2026** के अनुसार यह शिकायत न० 235-Peshi Dated 14.06.2025 दौबारा जाँच हेतू राज्य अपराध शाखा, अम्बाला ईकाई में मन निरीक्षक (नि० शिव चरण) को दिनांक **12.02.2026** को राज्य अपराध शाखा, अम्बाला में प्राप्त हुई थी।

शिकायत का सार:- शिकायतकर्ता श्री रोचन ककक्ड़ पुत्र श्री राजीव ककक्ड़ वासी म0न0 657, सैक्टर-38A, चण्डीगढ़ ने शिकायत संख्या 235-Peshi दिनांक 15.06.2025 में आरोप लगाया है कि उसने अपने दो दोस्तो सिद्धार्थ उनियाल निवासी म०न० 140, सैक्टर-8A, चण्डीगढ़ वा आमीन गोयल पुत्र श्री अशोक गोयल निवासी म०न० 632, सैक्टर 12-A, पंचकूला (उत्तरवादीगण) के साथ मिलकर दिनांक 06.08.2021 को ऑनलाईन फिटनेस सर्विस देने के लिए M/s **Granimals Absolute Fitness Private Limited** नामक कंपनी स्थापित की थी, जिसमें तीनों की 33.33% हिस्सेदारी थी। कंपनी फिटनेस, फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशन एवं रिहैबिलिटेशन संबंधी ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करती थी। शिकायतकर्ता के अनुसार जुलाई/अगस्त 2024 से उसके और अन्य साझेदारों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए तथा दिसंबर 2024 से शिकायतकर्ता अपनी इस कम्पनी के दैनिक संचालन से अलग होकर केवल बोर्ड सदस्य के रूप में रह रहा हैं। माह फरवरी/मार्च 2025 में आमीन गोयल एवं सिद्धार्थ उनियाल ने रोचन कक्कड़ पर अपने शेयर बेचने का दबाव बनाया था, जिसे रोचन कक्कड़ ने अस्वीकार कर दिया था, इसके पश्चात इसके दोनों साझेदारो (उत्तरवादीगण) ने कथित रूप से षड्यंत्रपूर्वक शिकायतकर्ता रोचन कक्कड़ की कंपनी के सिस्टम, ई-मेल एवं अन्य संचार माध्यमों तक पहुंच समाप्त कर दी थी। आगे आरोप है कि आमीन गोयल एवं सिद्धार्थ उनियाल ने कंपनी की फाइनेंस हेड निधि शर्मा को फर्जी बिलों के आधार

Administrative Officer
for Director General of Police
Haryana

पर कंपनी के धन को अपने परिचित व्यक्तियों के खातों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए, कम्पनी खातो से पैसों की ट्रान्सफर कम्पनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट जयपाल शर्मा की सलाह पर करने का आरोपी हैं। यह भी आरोप हैं कि आमीन गोयल एवं सिद्धार्थ उनियाल ने अपने परिचित व्यक्तियों के नाम पर अपनी अलग से एक अन्य नई कम्पनी Healpain Recovery Care Pvt. Ltd. नई कंपनी स्थापित कर Granimals Absolute Fitness कम्पनी के व्यवसाय, कर्मचारियों, डेटा, क्लाइंट्स वगैरा को स्थानांतरित करने का प्रयास किया। इस प्रकार धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी एवं गबन किया। शिकायतकर्ता ने आरोपियों द्वारा उसे धमकियां दिए जाने का आरोप भी लगाया है।

परिवादी पक्ष:- जाँच हेतू यह शिकायत प्राप्त होने पर शिकायतकर्ता श्री रोचन कक्कड़ द्वारा दी गई जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अनुसार शिकायतकर्ता के **GPA धारक एडवोकेट विनायक बंसल** पुत्र स्वर्गीय श्री डी.के. बंसल निवासी मकान नं० 16, हार्डिंग लाइन, आर्मी एरिया, अम्बाला कैंट को दिनांक 19-03-2026 को शामिल जाँच करके कथन अंकित किया गया और इसी प्रकार से परिवादी पक्ष से **निधि शर्मा** निवासी दीन दयाल नगर, ग्वालियर (मध्य प्रदेश) तत्तकालीन HR Manager and Finance Head of Ms Granimals Absolute Fitness Private Limited को 25-03-2026 को शामिल जाँच करके कथन अंकित किए गए, इसी दौरान निधि शर्मा ने अपने कथन में वर्णित तथ्यों के सम्बंध में अपनी WhatsApp अकाउंट, कम्पनी Email Chats एवं PPT Worksheet वगैरा के ईमेल चैट के स्क्रीनशॉट पेश किए, जो परिवादी पक्ष के ब्यानात एवं उपलब्ध करवायें गए दस्तावेज अवलोकनार्थ साथ संलग्न हैं।

उत्तरवादी पक्ष:- शिकायत उपरोक्त की जाँच के दौरान उत्तरवादी पक्ष से सिद्धार्थ उनियाल निवासी म०न० 140, सैक्टर-8A, चण्डीगढ़ वा आमीन गोयल पुत्र श्री अशोक गोयल निवासी मकान न० 632, सैक्टर 12-A, पंचकूला को दिनांक 01.04.2026 को शामिल जाँच करके कथन अंकित किए गए और इसी प्रकार से दिनांक 22.04.2026 को CA जयपाल संचालक Jaipal & Associates #4 1st Flour, Kaushal Complex, Sai Road, Baddi, Distt. Solan (HP) एवं दिनांक 28.04.2026 को करण शर्मा निवासी सैक्टर-20ए, चण्डीगढ़ हाल Technical Head of Ms Granimals Absolute Fitness Pvt Ltd, तथा दिनांक 01.05.2026 को गगन जैन वा संगीता देवी वासीगण बद्दी, जिला सोलन (हि0प्र0) ने शामिल जाँच होकर अपने-अपने ब्यानात अंकित करवायें, जो उत्तरवादी पक्ष के ब्यानात अवलोकनार्थ साथ संलग्न हैं।

शामिल जाँच होने के लिए सूचित करने के सम्बंध में उत्तरवादी पक्ष से अन्य व्यक्तिगण Healpain Recovery Care Pvt Ltd के डॉयरेक्टर एवं उत्तरवादी कृष्ण वर्मा को इस परिवाद के सम्बंध में पहले दिनांक 13.04.2026 को, उसके बाद दूसरी बार दिनांक 22.04.2026 को, तथा तीसरी बार दिनांक 29.04.2026 को हाजिर आकर शामिल जाँच होने के लिए सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था, जोकि उत्तरवादी कृष्ण वर्मा उपरोक्त में से किसी भी निर्धारित तिथि या अब तक हाजिर नहीं आया। इसके ईलावा उत्तरवादी पक्ष से Granimals Absolute Fitness Private Limited कंपनी से अन्य उत्तरवादीगण जिनमें तनवीश इनानी, विकास पंवार, हर्षित द्वीवेदी वगैरा को अलग-अलग सूचना पत्रो को इनके मोबाईल नम्बरों पर भेजकर सूचित किया गया था और शामिल जाँच होने आये उक्त कम्पनी के डॉयरेक्टर आमीन गोयल व सिद्धार्थ उनियाल (उत्तरवादीगण) को भी इनकी कम्पनी के उक्त कर्मचारीयों को शामिल जाँच होने के हाजिर आने बारे सूचित किया गया था, परन्तु उपरोक्त में से भी कोई कर्मचारी निर्धारित तिथि या उसके बाद हाजिर नहीं आये हैं।

RTI Matter

Administrative Officer
for Director General of Police
Haryana

परिवाद से सम्बंधित इसी मामले बारे माननीय न्यायालय पंचकुला में विचाराधीन याचिकाओं एवं The National Company Law Tribunal (NCLT) में दायर एक याचिकाओं बारे विवरण-

परिवादी श्री रोचन कक्कड़ द्वारा धारा 156 (3) CrPC (Now 175 BNSS) के तहत दायर याचिका CRM-1780 of 2025 के सम्बंध में माननीय न्यायालय Ms Kirti Vashista, CJ(SD)/ACJM/Panchkula से पारित कोर्ट आदेश दिनांक **22.12.2025** के अवलोकन अनुसार सामने आया हैं कि माननीय न्यायालय में परिवादी के वकील ने उसकी शिकायत में FIR दर्ज करके तफतीश करने के लिये सम्बंधित SHO के पास भेजने का अनुरोध किया था, माननीय न्यायालय ने इस अनुरोध को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वर्तमान स्थिति में पुलिस तफतीश के लिए कोई ठोस आधार नहीं है और माननीय न्यायालय ने पाया कि यह विवाद / मामला पहले से ही NCLT चण्डीगढ़ में विचाराधीन है, तथा परिवादी/शिकायतकर्ता के द्वारा धारा 156 (3) CrPC (Now 175 BNSS) के तहत दायर शिकायत में सीधे FIR दर्ज करवाने के बजाय इस मामले को एक निजी शिकायत के रूप में आगे बढ़ाते हुए माननीय न्यायालय Ms Kirti Vashista, CJ(SD)/ACJM/Panchkula ने अपने आदेश दिनांक 22.12.2025 के अनुसार परिवादी श्री रोचन कक्कड़ की याचिका को एक Private Complaint No. **COMI-2 of 2026** के तौर पर दिनांक 22.12.2025 को रजिस्टर्ड करते हुए सुनवाई शुरु की हैं। अब इस प्राईवेट शिकायत में सुनवाई के लिये आगामी तिथि **18-07-2026** निर्धारित की हुई हैं। (कोर्ट आदेश की प्रतियां अवलोकनार्थ साथ संलग्न हैं)

परिवादी श्री रोचन कक्कड़ की उक्त शिकायत CRM-1780-2025 को माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 22.12.2025 को डिस्पोज करने से सम्बंधित आदेश के विरुद्ध परिवादी श्री रोचन कक्कड़ द्वारा दिनांक **12.01.2026** को माननीय न्यायालय Dr. Himanshu Singh, ASJ Panchkula में एक अन्य **Revision Petition No. CRR-3 of 2026** दायर की गई थी, माननीय Ld. ASJ PKL न्यायालय के द्वारा इस याचिका में सुनवाई के लिए दिनांक 02.02.2026, 27.02.2026, 13.04.2026 वा 29.05.2026 निश्चित की गई थी, अब इस Revision Petition में सुनवाई के लिये आगामी तिथि **12-08-2026** निर्धारित की हुई।(कोर्ट आदेश अवलोकनार्थ साथ संलग्न हैं)

परिवादी श्री रोचन कक्कड़ के द्वारा अपनी संयुक्त कम्पनी Granimals Absolute Fitness Pvt Ltd के अपने दो अन्य पार्टनर/डायरेक्टर्स आमीन गोयल वा सिद्धार्थ उनियाल के द्वारा कम्पनी के कर्मचारीयों के साथ मिलकर कम्पनी के बैंक खातो से रकम को गलत तरीके से निकालने या अपने अन्य जानकारी लोगो के बैंक खातो में ट्रान्सफर करने बारे एवं कम्पनी के सिस्टम में परिवादी की पहुंच को रोकने, तथा इस कम्पनी का डाटा व कम्पनी ग्राहको को अपनी प्रोक्सी नई कम्पनी Healpain Recovery Care Pvt Ltd में ट्रान्सफर करके परिवादी को आर्थिक नुकसान पहुंचाने बारे The National Company Law Tribunal, Chandigarh (NCLT Court-II) में दायर की हुई पीटिशन **CP No. 36/Chd/Hry/2025** में पारित आदेश दिनांक **29.01.2026** के अवलोकन अनुसार सामने आया हैं कि परिवादी श्री रोचन कक्कड़ ने इस विवाद के समाधान और कम्पनी का उचित मूल्यांकन करने के लिये ट्रिब्यूनल ने दोनों पक्षों को निर्देश दिया है कि वे कम्पनी मूल्यांकन के मामले को आगे बढ़ाएं (pursue the matter of valuation) और ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया हैं कि सभी पक्षों को मूल्यांकनकर्ता (Valuer) को सभी आवश्यक दस्तावेज और विवरण प्रदान करने होंगे, इस मामले अगली सुनवाई के लिए दिनांक **16-07-2026** की तारीख तय की गई है। (कोर्ट आदेश अवलोकनार्थ साथ संलग्न हैं)

RTI Matter

**Administrative Officer**
**for Director General of Police**
**Haryana**

परिवाद के सम्बंध में उप न्यायवादी से प्राप्त कानूनी राये (Legal Opinion) का विवरण-

परिवाद की जाँच के दौरान परिवादी पक्ष एवं उत्तरवादी पक्ष से, दोनों पक्षों द्वारा उपलब्ध करवायें दस्तावेजों के अवलोकन से प्राप्त तथ्यों अनुसार एवं इस परिवाद से सम्बंधित मामले /विवाद के माननीय ACJM न्यायालय पंचकुला और माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय पंचकुला में विचाराधीन होने के सम्बंध में उप जिला न्यायवादी से कानूनी राय की आवश्यकता होने पर इस बारे में मुख्यालय में उच्चाधिकरीगण की सेवा में पत्राचार किया गया था।

परिवादी श्री रोचन कक्कड़ की शिकायत उपरोक्त के सम्बंध में कानूनी राये लेने बारे किए गये पत्राचार के सम्बंध में श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, अपराध, हरियाणा, पंचकुला कार्यालय के पत्र क्रमांक **11849/CR-4** दिनांक **10.06.2026** के माध्यम से श्रीमान उप-न्यायवादी, राज्य अपराध शाखा, मुख्यालय, पंचकुला से प्राप्त हुई कानूनी राये **(Legal Opinion)** का विवरण निम्न प्रकार से हैं-

"I have examined the case in hand.

The allegations mainly are that Co-founder and share holder of comp. Granimals. Rochan Kakkar, who is complainant has suffered loss due to criminal conspiracy, fraudulently incorporating new parallel company, transferring of fund unauthorizedly and transferring customer base and also attempt to transfer employees by the accused persons, who are co-shares in the said company.

Thus from the perusal of docs on file, Prim fascia case u/s 316(2), 351(2) & 61(2) of BNS is made out.

However, as queried a point 'B' on N.P.17, my considered view is that, as Ld. ACJM PKL vide order dated 22.12.2025 has declined prayer of the complaint to refer the matter to concerned SHO and instead has treated the complaint as private complaint by taking cognizance of the same, FIR should not be registered at this stage. The reason is that if FIR is registered and investigating authority submits charge sheet, then in that case Magistrate will take cognizance, best in present stage, the Ld. ACJM PKL has already started steps for cognizance offer treating the complaint u/s 156 (3) CrPC / 175 (3) BNSS, as complaint case u/sections 223/224 of BNSS.

Further, the complainant has preferred Revision of the aforesaid order before Ld. ASJ PKL, Which is still pending. In case the Ld. ASJ PKL, allows the Revision Petition, future course of action may be taken accordingly.

Thus at this stage FIR should not be registered.

Regarding query raised at point 'C' on N.P.17, it is opined that NCLT proceedings are civil in nature, which decides civil or contracted rights of the parties. It does not bar initiation of criminal proceedings by registration of FIR or criminal complaint proceedings before Magistrate please."

(इस परिवाद के सम्बंध में प्राप्त हुई कानून राये की प्रति अवलोकनार्थ साथ संलग्न हैं)

**Administrative Officer**
**for Director General of Police**
**Haryana**

परिवादी श्री रोचन कक्कड़ पुत्र श्री राजीव ककक्कड़ वासी म0न0 657, सैक्टर-38A, चण्डीगढ़ की शिकायत न० 235-Peshi Dated 14-06-2025 (235, ACP-HQ-Zone) के सम्बंध में उप न्यायवादी से प्राप्त कानूनी राये अनुसार शिकायत की जाँच का निष्कर्ष-

परिवादी श्री रोचन कक्कड़ की शिकायत की जाँच करने उपरान्त राज्य अपराध शाखा, मुख्यालय, पंचकुला से श्रीमान उप-न्यायवादी से प्राप्त हुई कानूनी राये (**Legal Opinion**) अनुसार परिवादी द्वारा इस शिकायत में लगाए गये आरोपों अनुसार धारा 316(2), 351(2) व 61(2) BNS के तहत प्रथम दृष्टया मामला तो बनता है, परन्तु परिवादी श्री रोचन कक्कड़ की इसी विषय/मामले को लेकर धारा 156 (3) CrPC (Now 175 BNSS) के तहत दायर परिवाद/याचिका **CRM-1780-2025** पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय Ld. ACJM पंचकुला के द्वारा इस मामले में FIR दर्ज करने के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए इस मामले को एक निजी शिकायत के रूप में आगे बढ़ाते हुए माननीय न्यायालय Ms Kirti Vashista, CJ(SD)/ACJM/Panchkula ने अपने आदेश **दिनांक 22.12.2025** के अनुसार परिवादी श्री रोचन कक्कड़ की याचिका को एक Private Complaint No. **COMI-2 of 2026** के तौर पर दिनांक 22.12.2025 को रजिस्टर्ड करते हुए सुनवाई शुरु की हुई हैं और **प्राप्त कानूनी राये अनुसार इस स्टेज (Stage) पर इस मामले में FIR दर्ज नहीं की जानी चाहिए।**

इसके अलावा, शिकायतकर्ता श्री रोचन कक्कड़ की पूर्व में दी गई परिवाद/याचिका CRM-1780-2025 में दिनांक 22.12.2025 को पारित आदेश के विरुद्ध परिवादी श्री रोचन कक्कड़ की तरफ से माननीय न्यायालय Dr. Himanshu Singh, ASJ Panchkula में दिनांक 12.01.2026 को दायर की हुई एक अन्य **Revision Petition CRR-3 of 2026** अभी भी माननीय न्यायालय पंचकुला में विचाराधीन हैं। **कानूनी राये अनुसार अगर माननीय न्यायालय Dr. Himanshu Singh, ASJ Panchkula शिकायतकर्ता श्री रोचन कक्कड़ की रिविज़न याचिका (Revision Petition) को Allowed करते हैं, तो इस मामले में आगे की कार्रवाई उसी के अनुसार की जा सकती है, इसलिए इस स्टेज (Stage) पर भी FIR दर्ज नहीं करने बारे उप न्यायवादी से कानूनी राये प्राप्त हुई हैं।**

अत: परिवादी श्री रोचन कक्कड़ की शिकायत के सम्बंध में श्रीमान उप-न्यायवादी से प्राप्त हुई कानूनी राये (**Legal Opinion**) अनुसार यह मामला माननीय न्यायालय Ld. ACJM/Panchkula में एक प्राईवेट शिकायत के तौर पर विचाराधीन होने एवं माननीय न्यायालय Ld. ASJ Panchkula में शिकायतकर्ता श्री रोचन कक्कड़ की रिविज़न याचिका (Revision Petition) लम्बित होने के कारण इस मामले में FIR दर्ज नहीं की जा सकती हैं। **इसलिए परिवादी श्री रोचन कक्कड़ पुत्र श्री राजीव ककक्कड़ वासी म0न0 657, सैक्टर-38A, चण्डीगढ़ की शिकायत न० 235-Peshi Dated 14-06-2025 (235, ACP-HQ-Zone)** को वापिस भेजते हुए अनुरोध हैं कि इस परिवाद को दाखिल-दफ्तर करने की कृपया करें। जाँच रिपोर्ट सेवा में प्रेषित हैं।

Shiv Ch Insp.

(जाँचकर्ता नि० शिव चरण)
राज्य अपराध शाखा, अम्बाला।
दिनांक: 15-06-2026.

RTI Matter

**Administrative Officer**
**for Director General of Police**
**Haryana**

From

To

The Inspector General of Police,
State Crime Branch, Haryana, Panchkula.

The Director General of Police,
Haryana, Panchkula.

No. 12995 /CR-4, dated Panchkula, the 24/6/26

**Subject: -** **Regarding transfer of complaint No. 235, ACP-HQ-ZONE to the State Crime Branch.**

**Memo.**

Kindly refer to your good office memo. No. 2038-39/AC-AR dated 30.03.2026, on the subject noted above.

11
ADOK
24-6-26

2. In this regard, it is intimated that the detailed enquiry in the matter has been conducted by Shiv Charan, Inspector, State Crime Branch, Ambala. A copy of enquiry report bearing memo. No. 309/SCB/AMB dated 15.06.2026, alogn-with copy of Hon'ble Court orders is enclosed herewith for your kind perusal and necessary action please.

Encls: As above.

Ramesh 24/6/26
(Ramesh Kumar)
Superintendent (O)/Crime-1
for Insepctor General of Police,
SCB, Haryana.

6202 (CR) 26/6/26

RTI Matter

**Administrative Officer**
**for Director General of Police**
**Haryana**

AR